Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायगढ़ को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 02-01-2023

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–25/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 4-1-23 ~~/12/2022~~

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषयः – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited द्वारा Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for 220/132 KV Sub – Station at Dharamjaigarh Village Hati, Area 6.823 ha.- reg.

संदर्भ– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत /479–188/2754, दिनांक 29.11.2022 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग किया गया है।	1 – 11
2	**प्रपत्र– I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** आवेदक विभाग के मांग अनुसार प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक –FP/CG/Sub Station/ 145951/2021 दिनांक 16.08.2021 को आबंटित किया गया है। निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्ज किया गया है जो संलग्न है।	12 – 13
3	**वनक्षेत्र का विवरण –** रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है।	14 – 15

क्रमशः 2

<table>
<tr><th>बिंदु क्र.</th><th>विवरण</th><th>संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप</th></tr>
<tr><td>4</td><td>गैर वनक्षेत्र का विवरण –
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु गैर वन भूमि प्रस्तावित नहीं है।</td><td>16 – 17</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर –
प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया की मूल टोपोशीट क्रमांक F44L3 पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।</td><td>18 – 20</td></tr>
<tr><td>6</td><td>वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप/वेजिटेशन मैप 1:50000 स्केल तथा 1:15000 स्केल के टोपोशीट मानचित्र में चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र पर वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं आवेदक संस्थान द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया गया है।</td><td>21 – 29</td></tr>
<tr><td>7</td><td>प्रपत्र –4 में प्रस्ताव –
रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा जारी प्रपत्र–4 प्रस्ताव में संलग्न है। प्रपत्र अनुसार उपकेन्द्र हेतु चयनित भूमि भौगोलिक, तकनीकी एवं पहुँच मार्ग की दृष्टि सर्वथा उपयुक्त है इस उपकेन्द्र के निर्माण से रायगढ़, जशपुर एवं सरगुजा क्षेत्र में निर्वाध रूप से विद्युत सप्लाई की जा सकेगी जिसमें लगभग 50000 आबादी लाभान्वित होगें। प्रस्ताव अनुसार परियोजना की कुल लागत 50.00 करोड़ रूपये है। वन भूमि का हरियाली घनत्व 0.4 है। उपकेन्द्र स्थापना हेतु घटकवार निम्नानुसार भूमि की आवश्यकता है :–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>कार्य का मद</th><th>रकबा (हे. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>220/132/33 के.व्ही यार्ड</td><td>5.18</td></tr>
<tr><td>2</td><td>नियंत्रण कक्ष</td><td>0.35</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आंत्रिक पहुँच मार्ग</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>4</td><td>भण्डार गृह एवं अन्य</td><td>0.63</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>6.823</td></tr>
</table></td><td>30 – 34</td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –
ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु मांग की गई है। आवेदक संस्थान का कथन है कि उपकेन्द्र हेतु चयनित भूमि भौगोलिक, तकनीकी एवं पहुँच मार्ग की दृष्टि सर्वथा उपयुक्त है इस उपकेन्द्र के निर्माण से रायगढ़, जशपुर एवं सरगुजा क्षेत्र में निर्वाध रूप से विद्युत सप्लाई की जा सकेगी तथा इस क्षेत्र में बनने वाले भारी उद्योगों को भी विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा। रायगढ़ व जशपुर क्षेत्र में पर्याप्त एवं लगातार विद्युत सप्लाई से उद्योगो के साथ कृषि को भी लाभ होगा जिससे समाज के सभी लोगो को पर्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक लाभ होगा।</td><td>35 – 38</td></tr>
</table>

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र** – आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में आवेदित वन भूमि के बदले दुगुने क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि जमा करने हेतु वचनवद्ध है, इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	39 – 40
10	**न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र** – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रभावित होने वाली वन भूमि के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं होने का आवेदक एवं वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	41 – 42
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र** – प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक एवं वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	43 – 44
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में)** – प्रस्तावित क्षेत्र पर मिश्रित प्रजाति के कुल 189 वृक्ष मौजूद है। बिन्दु अनुसार वृक्ष गणना फार्म 1(a) एवं 1(b) में कुल वृक्षों की संख्या एवं आयतन का विवरण दिया गया है तथा मार्किंग बुक की छाया प्रति भी प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	45 – 58
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस** – प्रकरण में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि का क्षेत्रफल 20 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं है।	59 – 66
14	**चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)** – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत इस योजना में प्रस्तावित ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि है। अतः योजना अंतर्गत किसी प्रकार का गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है।	67 – 68
15	**गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा** – प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण धरमजयगढ़ वनमंडल के परिक्षेत्र छाल के नारंगी वन खण्ड भुंडीबहरी ख.नं. 124/2/क/1 में 8.00 हे. एवं नारंगी वन खण्ड पुरूंगा खसरा नंबर 461/1/क में 6.00 हे. में प्रस्तावित होने के कारण गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा आवश्यक नहीं है।	69 – 71
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना** – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि के एवज में धरमजयगढ़ वन मंडल के परिक्षेत्र छाल के नारंगी वनखण्ड भुंडीबहरी ख.नं. 124/2/क/1 में 8.00 हे. एवं नारंगी वन खण्ड पुरूंगा खसरा नंबर 461/1/क में 6.00 हे. कुल 14.00 हे. में 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना मय उपचार मानचित्र रिपोर्ट सहित प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	72 – 135

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि के एवज में धरमजयगढ़ वनमंडल के परिक्षेत्र छाल के नारंगी वन खण्ड भुंडीबहरी ख.नं. 124/2/क/1 में 8.00 हे. एवं नारंगी वन खण्ड पुरूंगा खसरा नंबर 461/1/क में 6.00 हे. कुल 14.00 हे. क्षेत्र का चयन किया गया है जो परिक्षेत्र अधिकारी छाल, उप वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ द्वारा की गई संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है एवं कार्य आयोजना प्रबंधन में शामिल नहीं है जिसका उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	136 – 138
18	**अधिनियम उल्लंघन अंर्तगत कार्यो का विवरण –** प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	139 – 140
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एंव कर्मचारियों का विवरण –** प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण विवरण **निरंक** है।	141 – 142
20	**अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही –** प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की प्रस्तावित कार्यवाही निरंक हैं।	143 – 144
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** प्रकरण में धरमजयगढ़ वन मंडल के परिक्षेत्र छाल के नारंगी वन खण्ड भुंडीबहरी ख.नं. 124/2/क/1 में 8.00 हे. एवं नारंगी वन खण्ड पुरूंगा खसरा नंबर 461/1/क में 6.00 हे. कुल 14.00 हे. क्षेत्र का चयन किया गया है। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	145 –146
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण से संबंधित होने के कारण केचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान की आवश्यकता नहीं हैं।	147 – 148
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं हैं।	149 – 150
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण से संबंधित होने के कारण आई.बी.एम. नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं हैं।	151 – 152
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण में प्रभावित वन भूमि में किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है। अतः व्यवस्थापन प्लांन की आवश्यकता नहीं है।	153 – 154

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
26	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** प्रस्तावित 6.823 हे. संरक्षित वन भूमि के लिए वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ का प्रतिवेदन (प्रपत्र III एवं भाग 2) एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का प्रतिवेदन (भाग–3) संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वन भूमि का वन घनत्व 0.4 है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 189 नग वृक्ष विद्यमान है। दिनांक 10.10.2022 को भौतिक निरीक्षण के आधार पर वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ ने आवेदित क्षेत्र पर गैर वानिकी प्रयोजन में देने की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर ने वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते दिनांक 14.11.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव की अनुशंसा की है।	155 – 164
27	**ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं होने का वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।	165 – 166
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	167 – 170
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) –** रायगढ़ जिले में वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विवरण अनुसार रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वन मंडल की कुल वन भूमि 244804 हे. है।	171 – 172
30	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 419.433 हे. है।	173 – 174
31	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे –** रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकबा **निरंक** है।	175 – 176
32	**प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित प्रकरण विद्युत लाईन निर्माण के अर्न्तगत 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित/प्रस्तावित नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं आवेदक का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।	177 – 178
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** प्रस्तावित परियोजना खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	179 – 180

क्रमशः 6

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर रायगढ़ का प्रमाण पत्र दिनांक 16.02.2022 मय एनेक्चर–I एवं प्रदर्श–स की छाया प्रति संलग्न है। प्रमाण पत्र अनुसार वन अधिकार धारको की संख्या निरंक है। प्रस्ताव के साथ ग्राम पंचायत हाटी का कार्यवाही विवरण दिनांक 20.07.2021 एवं खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धरमजयगढ़ का कार्यवाही विवरण दिनांक 22.11.2021 भी संलग्न है।	181 – 186
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र** – प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए 6.823 हे. संरक्षित वनभूमि है। अतः राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	187 –188
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र** – निर्देशानुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	189 –190
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance** – वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त अनुसार निर्धारित है उसे आवेदक संस्थान से CAMPA निधि में तत्काल जमा कराया जावेगा।	191 –192
38	**“A detailed note on Soil Productivity or the lack of it”** – आवेदित वनभूमि में भूमि की दशा प्राकृतिक प्रायः चिकनी व दोमट मिट्टी है।	193 –194
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र** – आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	195 – 196
40	**Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980** – प्रस्तावित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	197 – 198
41	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण** – आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/– एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 18,000/– कुल मूल्य 24000/– की राशि वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल के पी. डी. खाता में जमा किया गया है।	199 – 200
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत** – प्रस्तावित परियोजना में इस बिन्दु की आवश्यकता नहीं है।	201 – 202
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण** – सब स्टेशन का प्रकरण होने के कारण आवश्यक नहीं है।	203 –204
44	**प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण** – प्रस्ताव में अन्य कमियां नहीं है।	205

क्रमशः 7

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

K Rajput 4.1.23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–25/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 4 /~~12/2022~~ 1-23

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।
4. कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायगढ, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

K Rajput
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ok